न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,कोर्ट न०–2 / विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, कुशीनगर स्थान पडरौना ।

सत्र परीक्षण वाद संख्या – 107/15 सरकार बनाम झिनक आदि ।

आरोप

1– (क) मै मनोज कुमार सिंह गौतम , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–2 कुशीनगर स्थान पडरौना । आप अभियुक्तगण झिनक,कमलेश व श्रीमती नैना देवी के विरूद्व निम्नलिखित आरोप आरोपित करता हूं ।

प्रथम – यहकि दिनांक 21–7–2010 समय 10 बजे रात बहद ग्राम जं० हनुमानगंज थाना कोतवाली पडरौना जिला कुशीनगर में आप लोगो ने सामान्य आशय के अनुक्रम में वादी मुकदमा खुशबूददीनल व उसकी मां को लाठी डंडा से मार पीट कर साधारण उपहति कारित किये । इस प्रकार आप ने धारा 323/34 भा०दं०सं० के अन्तगर्त दण्डनीय अपराध कारित किया । जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यहकि उपरोक्त तिथि समय तथा स्थान पर आप लोगो ने सामान्य आशय के अनुक्रम में वादी मुकदमा उक्त व उसकी मां को लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से मां बहन की भददी – भददी गाली देकर अपमानित किया । इस प्रकार आप लोगो ने धारा 504 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया । जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

तृतीय – यह कि उपरोक्त तिथि समय तथा स्थान पर आप लोगो ने सामान्य आशय के अनुक्रम में मुकदमा मुकदमा उक्त व उसकी मां को जान से मारने की घुडकी धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया । इस प्रकार आप लोगो ने धारा 506 भा०दं०सं० के अंतगर्त दण्डनीय अपराध कारित किया । जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

1 (ग) एतदद्वारा आप लोगो को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपो हेतु आप लोगो का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

दिनांक 1 9–3–2015 (मनोज कुमार सिंह गौतम)

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–2/ विशेष न्यायाधीश ,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति (अत्याचार
निवारण) 1989 अधिनियम कुशीनगर स्थान पडरौना ।

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया । अभियुक्त गण ने आरोपो से इंकार कराते हुए विचारण की याचना किया।

दिनांक 19–03–2015 (मनोज कुमार सिंह गौतम)

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–2/ विशेष न्यायाधीश ,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति (अत्याचार
निवारण) अधिनियम 1989 कुशीनगर स्थान पडरौना ।